महामारी अधिनियम, 1897 का इतिहास

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (स्वास्थ्य) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

23 मार्च, 2020

"वैश्विक स्तर पर, 3,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और मृत्यु का आंकड़ा 13,000 से अधिक हो गया है। महामारी अधिनियम स्वाइन फ्लू, डेंगू और हैजा जैसी बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए पूरे देश में नियमित रूप से लागू किया जा चुका है।"

रविवार को, दिल्ली और उत्तराखंड ने दिल्ली और उत्तराखंड महामारी रोग, कोविड-19 विनियमों को क्रमशः महामारी अधिनियम, 1897 के दायरे में लाया। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रावधान 11 मार्च को लागू किए गए थे। सात लोगों की मौत के साथ भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 370 हो गई। जैसा कि देश ने रविवार को 'जनता कर्फ्यू' का पालन किया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकारों को देश भर के 75 से अधिक जिलों (जहां कोविड-19 मामलों की पुष्टि की गई है) में केवल आवश्यक सेवाओं को चलाने के लिए उचित आदेश जारी करने की सलाह दी है।

वैश्विक स्तर पर, 3,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और मृत्यु का आंकड़ा 13,000 से अधिक हो गया है। महामारी रोग अधिनियम स्वाइन फ्लू, डेंगू और हैजा जैसी बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए पूरे देश में नियमित रूप से लागू किया जाता है।

महामारी अधिनियम, 1897 का इतिहास

औपनिवेशिक सरकार ने 1890 के दशक में बॉम्बे प्रेसीडेंसी में फैले बूबोनिक प्लेग की महामारी से निपटने के लिए अधिनियम पेश किया था। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उपनिवेशी अधिकारियों ने संदिग्ध प्लेग मामलों की खोज घरों में और यात्रियों के बीच जबरन की, साथ ही उन्होंने संक्रमित स्थानों को तहस-नहस कर दिया था।

इतिहासकारों ने भी इस अधिनियम की आलोचना इसके दुरुपयोग होने की संभावना के कारण की है। 1897 में, जिस वर्ष यह कानून लागू किया गया था, देश में प्लेग फैल गया था। बम्बई से शुरू होकर पूना तक प्लेग का आतंक था। इस डर से अधिकारियों ने पूना छोड़ दिया, जिसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में लिखा, जब अफसरों की जरूरत थी, तब वो भाग निकले। हालाँकि, इसके लिए तिलक को 18 महीने के कठोर कारावास की सजा दी गयी थी।

महामारी अधिनियम, 1897 के प्रावधान

इस एक पृष्ठ के अधिनियम में चार खंड शामिल हैं, जिसका लक्ष्य 'खतरनाक महामारी के प्रसार के बेहतर रोकथाम' करना है। इसकी धारा 2 राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने और प्रकोप से निपटने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

इस अधिनियम के अनुसार:-

खतरनाक महामारी रोग के रोकथाम के लिए विशेष उपाय करने और नियमों को निर्धारित करने की शक्ति-

(1) जब किसी भी समय राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को यह लगता है कि उनके किसी क्षेत्र में महामारी फैल गई या फैलने की आशंका है और मौजूदा कानून व व्यवस्था उसे रोकने के लिए काफी नहीं है, तो वह इस अधिनियम को लागू करते हुए बेहतर नियम व उपाय तैयार कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा बनाए गए नियम व बताए गए

उपायों का सभी लोगों के लिए पालन करना आवश्यक होता है। महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी किया गया कोई भी आदेश सभी के लिए समान लागू होता है।

(2) इस अधिनियम की धारा-2 के अनुसार यदि सरकार को यह लगता है कि देश के किसी भी हिस्से में कोई महामारी फैल गई या फैलने की आशंका है तो सरकार रेल, हवाई या बंदरगाह से यात्रा के दौरान बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को बीच यात्रा से उतारकर उसका उपचार करा सकती है।

इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर ऐसे व्यक्ति को कितने समय के लिए भी उपचार केंद्र पर रखा जा सकता है।

(b) रेल या बंदरगाह या अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को, जिनके बारे में निरीक्षक अधिकारी को ये शंका हो कि वो महामारी से ग्रस्त हैं, उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा और यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी जांच भी किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा करवा सकती है।

(3) अधिनियम की धारा-3 के तहत सरकार की ओर से जारी किए गए किसी भी आदेश, नियम या महामारी के लिए बताए गए उपायों को नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।

ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है।

इसकी धारा-4 के अनुसार अधिनियम के तहत कार्य करने वाले कार्यान्वयन अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है।

कार्यान्वयन के उदाहरण हैं

जहां तक महामारी एक्ट के भारत में अब तक कितनी बार लागू होने का प्रश्न है तो साल 2009 में पुणे में जब स्वाइन फ्लू फैला था तब इस एक्ट के सेक्शन 2 को लागू किया गया था।

2018 में गुजरात के वडोदरा जिले के एक गाँव में 31 लोगों में कालरा के लक्षण पाये जाने पर भी यह एक्ट लागू किया गया था।

साल 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए इस एक्ट को लगाया जा चुका है. इस एक्ट में सिर्फ सरकारी नोटिस की बात ही नहीं लागू की गई, बल्कि तब सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि सरकारी नियम-निर्देश न मानने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना हो. अधिकारियों ने इस ऐक्ट के तहत चालान काटे भी थे।

2020 में कर्नाटक ने सबसे पहले कोरोना वायरस से निपटने के लिए महामारी अधिनियम, 1897 को लागू किया।

क्या होता है लॉकडाउन?

किसी शहर या जिले में लॉकडाउन का मतलब है कि वहां दुकान, बाजार, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। साथ ही ऑफिस वगैरह भी बंद या संभव हो सके तो कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए जाते हैं। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए यातायात सेवाएं भी बंद रखी जाती हैं, ताकि लोग घरों से बाहर ही ना निकलें।

दरअसल इस पूरी कवायद का मकसद लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।

लॉकडाउन का मकसद ये है कि कम से कम लोग एक दूसरे के संपर्क में आएं, ताकि वायरस के आतंक पर लगाम कसी जा सके।

किन देशों में है लॉकडाउन?

चीन, डेनमार्क, अल सलवाडोर, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, पोलैंड और स्पेन में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। चूंकि चीन में ही सबसे पहले कोरोनावायरस संक्रमण का मामला सामने आया था, इसलिए सबसे पहले वहां लॉकडाउन किया गया।

इटली में मामला गंभीर होने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद स्पेन और फ्रांस ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यही कदम उठाया।

कब-कब हुआ लॉकडाउन?

अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद वहां तीन दिन का लॉकडाउन किया गया था। दिसंबर 2005 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स ने दंगा रोकने के लिए लॉकडाउन किया था।

19 अप्रैल, 2013 को बोस्टन शहर को आतंकियों की खोज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था।

नवंबर 2015 में पेरिस हमले के बाद संदिग्धों को पकड़ने के लिए साल 2015 में ब्रुसेल्स में पूरे शहर को लॉकडाउन किया गया था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. वर्तमान में देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लॉकडाउन से सीधा तात्पर्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं को बंद रखना है।
2. इसके द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों का लोगों से संपर्क कम करना है।
3. भारत में किसी महामारी के कारण पहली बार लॉकडाउन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2 दोनों

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Presently lockdown has been imposed in many states of the country. consider the following statements in this context.

1. Lockdown directly means suspension of all other services except essential services.
2. To reduce people's contact with people for stopping the infection corona virus through it.
3. Lockdown in India has been done for the first time due to any pandemic in India.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 (b) 1 and 2

(c) 1 and 3 (d) All of the above

नोट : 21 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. महामारी अधिनियम,1897 वर्तमान में किस प्रकार से भारत में कोविड-19 वायरस से लड़ने में सहायक भूमिका निभा रहा है? आजादी से पूर्व इस कानून की व्यावहारिकता वर्तमान संकट में कितनी है? चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

How is Epidemic Act, 1897 presently playing a supportive role in fighting from Covid-19 virus in India? Does this pre independence act is effective in dealing present crisis? Discuss.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।